

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी-मनोज कुमार(आर०ए०एस०)

अपील संख्या- 2018 / 00348

1. रामगोपाल पुत्र मथुरालाल मृतक जयें कायम मुकाम-
1/1. कंचनबाई पत्नी रामगोपाल जाति मीणा निवासी जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज०)।
1/2. दमयन्ति पुत्री रामगोपाल जाति मीणा निवासी जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज०)।
1/3. दीनदयाल पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज०)।
1/4. भगवती प्रसाद पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज०)।
2. नरोत्तम पुत्र बृजमोहन नाबालिग जयें वली दादी केदार जाति मीणा।
3. धर्मेन्द्र पुत्र बृजमोहन जाति मीणा।
4. केदार बाई पत्नी बृजमोहन जाति मीणा
5. आशिक पुत्र हजारीलाल नाबालिग जयें वली दादी केदार बाई
6. बाबूलाल पुत्र रामकिशन जाति मीणा
7. भैरूलाल पुत्र रामकिशन जाति मीणा
8. महावीर पुत्र रामकिशन जाति मीणा
9. जुगराज पुत्र रामकिशन जाति मीणा निवासी जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज०)।

- अपीलांट

बनाम

1. मूर्ति मंदिर श्री महाप्रभू जी महाराज विराजमान पाटनपोल कोटा जरिये अध्यक्ष गोपाललाल जी महाराज गोस्वामी कोटा(राज०)। जयें अध्यक्ष गोपाललाल गोस्वामी मृतक जयें कायम मुकाम-
1/1. कमल प्रभा पत्नी स्वर्गीय गोपाललाल गोस्वामी निवासी पाटनपोल कोटा(राज०)।



- 1/2. भवना पुत्री स्वर्गीय गोपाललाल गोस्वामी निवासी पाटनपोल कोटा(राज0)।
- 1/3. विनय कुमार स्वर्गीय गोपाललाल गोस्वामी निवासी पाटनपोल कोटा(राज0)।
- 1/4. शरद कुमार गोस्वामी स्वर्गीय गोपाललाल गोस्वामी निवासी पाटनपोल कोटा(राज0)।
- 1/5. कल्पना पुत्री स्वर्गीय गोपाललाल गोस्वामी निवासी पाटनपोल कोटा(राज0)।
- 1/6. अर्चना पुत्री स्वर्गीय गोपाललाल गोस्वामी निवासी पाटनपोल कोटा(राज0)।
2. राजस्थान सरकार जयें प्रतिनिधि तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा(राज0)।

—रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस—(1). उत्पल शर्मा— अधिवक्ता अपीलांट

(2). रमाकान्त लोहिया— अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/3

निर्णय

दिनांक 12.07.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 18/2016 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 15, 19, 92—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के पूर्वज दादा जी श्री कालू पुत्र श्री महाराज जी थे, जिनका देहावसान काफी अरसे पूर्व हो चुका है। वादपत्र मे पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया। प्रकार मुताबिक पारिवारिक सजरा कालू जी के दो पुत्र मथुरालाल व लक्ष्मीनारायण उर्फ सूरजमल रहे हैं, जिनका भी देहान्त हो चुका है तथा मथुरालाल जी के दो पुत्र वादी कम 1 रामगोपाल तथा बृजमोहन जी रहे है। बृजमोहन जी का भी देहान्त हो चुका है जिनके वारिस व उत्तराधिकारी वादी कम 2 लगायत 4 है। लक्ष्मीनारायण उर्फ सूरजमल के दो पुत्र रामकिशन व वादी कम 9 बाबूलाल है। रामकिशन जी का भी देहान्त हो चुका है, जिनके वारिस व उत्तराधिकारी वादी कम 6 लगायत 8 है कालू जी अनुसूचित जन जाति के मीणा समुदाय के व्यक्ति थे जिनकी सम्पति के सम्बंध मे पुत्रियो को कोईभी हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कालू जी की पुत्रियो का निधन भी हो चुका है जिसके

कारण मुताबिक पारिवारिक सजरा वादीगण ही कालू जी के एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी है । गत खसरा नम्बर 26 की किस्म सरे अवल रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा व किस्म सरे दोयम रकबा 56 बीघा 12 बिस्वा कुल 108 बीघा कृषि भूमि वाके ग्राम जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित है । उक्त खसरा नम्बर 26 की 108 बीघा कृषि भूमि माफी की भूमि रही है जिसमे से 34 बीघा कृषि भूमि पर वादीगण के पूर्वज व दादा कालू जी बहैसियत काशतकार काशत कर अपने व अपने परिवार का जीवन यापन करते आ रहे थें, और तत्समय के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में कृषक के कॉलम में भी बहैसियत जेली कृषक उनके नाम का इन्द्राज चला आ रहा था, राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने के पश्चात उक्त कृषि भूमि पर माफी रिज्यूम हो गई और तत्समय स्टेट व जागीर द्वारा आदेश दिनांक 28.12.1958 जारी कर दिनांक 1.11.1959 से उक्त कृषि भूमि माफी रिज्यूम कर उक्त कृषि भूमि 34 बीघा के दर्ज काशतकार वादीगण के दादा कालू जी उक्त 34 बीघा कृषि भूमि के खातेदार कृषक हो गये जिसका अंकन तत्समय की जमाबंदी सम्वत 2014 से 2017 के कॉलम संख्या 5 व कॉलम संख्या 16 में दर्ज किया गया है । इसी माफी रिज्यूम होने के पश्चात वादीगण के पूर्वज व दादा कालू जी कानूनन उक्त कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हो गये और उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में भी उनकी रिकॉर्डेड खातेदारी में पृथक से दर्ज कर दी गई है । सम्बंधित राजस्व रिकार्ड सलग्न है । उक्त खसरा नम्बर 26 की 34 बीघा कृषि भूमि के गत सेटलमेन्ट पश्चात नये खसरा नम्बर 38 रकबा 41 बीघा 11 बिस्वा कायम किये गये और उक्त कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज कालू जी की रिकॉर्डेड खातेदारी व कब्जे काशत में दर्ज रही है जमाबंदी सम्वत 2027 से 2030 सलग्न है । इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज दादा कालू जी की एक मात्र रिकॉर्डेड खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि रही है जो उनकी मृत्यु पश्चात उनके वारिसान व उत्तराधिकारी को प्राप्त हुई है और उक्त कृषि भूमि इसी अनुसार कालू जी की मृत्यु के पश्चात निरंतर उनके पुत्र लक्ष्मीनारायण उर्फ सूरजमल व मथुरा व एवं पुत्रियो मथरी ज्याना राजा गंगा रामकन्याबाई की रिकॉर्डेड खातेदारी व कब्जे काशत में दर्ज रही है । उक्त कृषि भूमि मे सम्वत 2041 मे वर्तमान सेटलमेन्ट हुआ और बाद सेटलमेन्ट उक्त कृषि भूमि के हाल खसरा नम्बर 151 की रकबा 377 है, खान 155 की रकबा 2.94 है. कुल किता की रकबा 6.71 है. कायम किये गये । कानूनन सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को विद्यमान इन्द्राजो को ही दोहराना चाहिये सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी सक्षम आदेश डिकी व वैध दस्तावेज के बिना विद्यमान इन्द्राजो को परिवर्तित करने का कोई भ अधिकार प्राप्त नहीं है किन्तु फिर भी सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियो द्वारा क्षेत्राधिकार व दायित्व अतिलघ्न करते हुये बिना किसी सक्षम आदेश व वैध दस्तावेज के

(Handwritten signature)

ही उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे कालूजी के वारिसान के नाम के साथ-साथ रिकार्ड में पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज प्रतिवादी कम 1 के नाम का नाजायज फायदा उठाते हुये राजव अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रतिवादी कम 1 के व्यवस्थापक गोपाल जी महाराज से मिलीभगत करते हुये पूर्णतया: गलत व गैर कानूनी तरीके से उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे खातेदार के रूप में दर्ज वादीगण के पिता व दादा मथुरालाल वगैरा का खातेदारी से विलोपित कर उक्त वादग्रस्त कृषिभूमि को प्रतिवादी कम 1 की खातेदारी में दर्ज कर दिया । सेटलमेन्ट एवं राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी कम के नाम किया गया उक्त इन्द्राज पूर्णतया गलत न गैर कानूनी है जिससे वादग्रस्त भूमि में वादीगण के एक अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पडता है। उक्त कृषि भूमि माफी अर्थात जागीरी भूमि रही है जिस पर यादीगण के दादा कालू जी बहेरितय कृषक निरंतर काबिज कारत रहे है और उक्त भूमि माफी रिज्यूम होने के पश्चात वादीगण के दादा कालू जी व उनकी मृत्यु पश्चात विरासतन वादीगण की खातेदारी में दर्ज हुई है जिससे प्रतिवादी कम 1 का कोई भी संबध नही है किन्तु फिर भी सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से वादीगण का नाम विलोपित कर प्रतिवादी कम का नाम दर्ज कर दिया जो पूर्णतया गैर कानूनी अवैध व प्रभावहीन है । राज्य सरकार द्वारा भी समय समय पर परिपत्र जारी कर राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को यह निर्देशित किया गया है कि मूर्ति माफी की ऐसी कृषि भूमियां जो राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अनुसार माफी रिज्यूम होकर काबिज काश्तकार के खातेदारी मे दर्ज हो चुकी है और इसके पश्चात ऐसी कृषि भूमियो से दर्ज खातेदारान का नाम विलोपित कर मूर्ति मंदिर के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है तो उक्त इन्द्राज पूर्णतया गलत व गैर कानूनी है। जिन्हे दुरुस्त किया जाकर उक्त कृषि भूमिया वापिस उन्ही खातेदारान की खातेदारी मे दर्ज कर दी जावें । राज्य सरकार के उक्त परिपत्रों के संदर्भ में वादीगण ने प्रतिवादी कम 2 से कई बार उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज प्रतिवादी कम 1 के नाम को हटाकर उक्त कृषि भूमि बादीगण की खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया किंतु उसके पश्चात भी प्रतिवादी कम 2 ने कोई भी ध्यान नही दिया जिसके कारण उक्त कृषि भूमि गलत व गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी कम के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी कम 1 के व्यवस्थापक गोपाल लाल एवं अन्य व्यक्ति उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज चले आ रहे है प्रतिवादी कम 1 के नाम का नाजायज फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि से येन-केन प्रकारेण वादीगण को बेदखल करने व वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने पर आमादा है जिसका

उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है प्रतिवादी कम 1 में अपने इसी अनुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिये उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज प्रतिवादी कम 1 के नाम का नाजायज फायदा उठाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा के यहाँ से दिनांक 25.01.2008 को एक तरफा रूप से बेदखली की डिकी भी प्राप्त कर ली है जिसके विरुद्ध अपील न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के यहाँ विचाराधीन है वास्तव में उक्त कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसके सम्बन्ध में वादीगण को अपने हक व अधिकारी की सुरक्षार्थ घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु यह वाद पेश करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त कृषि भूमि वादीगण के दादा कालू जी व उनकी मृत्यु पश्चात उनके वारिस व उत्तराधिकारी वादीगण की खातेदारी न कब्जे काश्त में निरंतर दर्ज चली आ रही है और राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार भी उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मेवादीगण का नाम हटाकर प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज किया गया गलत इन्द्राज दुरुस्त किया जाकर उक्त भूमि वापिस वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने योग्य है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 151 रकबा 377 हैक्टर खसरा नम्बर 155 की रकबा 294 है. कुल किता 2 की 6.71 हैक्टर वाके ग्राम जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा का वादीगण स्वयं को खातेदार घोषित करवावे एवं उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज प्रतिवादी कम 1 का नाम हटवाकर तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती करवाते हुये प्रतिवादी कम 1 के नाम के स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवायें और प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवावे कि प्रतिवादीगण बिना किसी अंतिम डिकी या आदेश के वादग्रस्त कृषि भूमि से वादीगण को बेदखल ना करे और शांति पूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करे। वाद कारण सेटलमेन्ट एवं राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा गलत व गैर कानूनी रूप से वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम हटाकर प्रतिवादी कम 1 का नाम दर्ज कर दिये जाने इसके पश्चात प्रतिवादी कम 2 से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन करने पर भी ध्यान ना देने पर दिनांक 10.05.2016 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अन्त में वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिकी सादर पारित किये जाने का निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 151 रकबा 3.77 हैक्टर खसरा नम्बर 155 की रकबा 2.94 हैं कुल किता 2 की 6.71 हैक्टर वाके ग्राम जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज प्रतिवादी कम 1 के नाम के स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज


किया जाये । साथ ही प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि प्रतिवादीगण बिना किसी या अंतिम डिकी व आदेश के वादग्रस्त कृषि भूमि से वादीगण को बेदखल ना करे, और शांति पूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करे, मदाखलत व मजाहमत ना करे, और ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे, और ना ही अपने प्रतिनिधि से कराये ।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। दिनांक 03.05.2018 को लोक-अदालत के तहत वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की ।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण वादीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।
5. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादीगण की ओर से दावा दिनांक 14.06.2016 को पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दिनांक 21.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने का आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन थी, इसके बावजूद भी बिना पक्षकारान की तलबी व बिना जवाब के नियत तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 03.05.2018 को लोक-अदालत मे रखा जाकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जो लोक-अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। लोक-अदालत कैम्प मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के मुद्दों, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि के विपरीत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के विपरीत अपीलांट वादीगण का वाद लोक-अदालत की भावना के विपरीत खारिज कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत वाद को बिना जवाबदावा, बिना तलबी, दस्तावेज के साक्ष्य की विवेचन के बिना वाद की मेरिट के विपरीत लोक-अदालत के क्षेत्राधिकार के विपरीत जाकर दावा खारिज करने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। लोक-अदालत में केवल वे ही मामले निस्तारित किये जाने का प्रावधान है, जिसमें दोनों पक्षकारान् सहमत हो अन्यथा मामले पुनः सुनवाई में निर्णित होने के प्रावधान है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2022(2) आर. आर.टी. पेज 1310, 2022(3) सी.जे.(सिविल)(राज.) पेज 1624 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2018 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि सम्वत् 2006 से 2009 में उक्त भूमि पुरुषोत्तम लाल जी बेटे गोपाल लाल जी महाराज जात ब्राह्मण बास कोटा के नाम दर्ज थी। जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2017 के अनुसार विवादित भूमि माफी मन्दिर महाप्रभू जी कला विराजमान कोटा कब्जा गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल जी बेटे गोपाल लाल जी महाराज जात ब्राह्मण बास कोटा के नाम दर्ज है। कोटा सर्कुलर नम्बर 3 में भी इस सम्बंध में प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय में पैरोकार सरकार का जवाब विधिक रूप से सही है। वर्तमान में विवादित भूमि मन्दिर श्री महाप्रभू जी विराजमान कोटा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान सरकार के नियमों के अन्तर्गत माफी मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति के खाते में अंकित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि दावे की किसी भी स्टेज पर अधीनस्थ न्यायालय को यह लगे कि दावा चलने योग्य नहीं है, तो अधीनस्थ न्यायालय उसी स्टेज पर दावा खारिज कर सकता है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 की ओर से माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1994 पेज 1 राम प्रताप व अन्य बनाम राजस्व मण्डल व अन्य प्रस्तुत किया। अन्त में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2018 को विधि सम्मत होना बताकर अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।
7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन व मनन किया। आदेशिका दिनांक 07.11.2017 से स्पष्ट है कि पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण नियत

की जाकर आगामी तारीख पेशी 20.12.2017 नियत की गई। अर्थात् पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ था तथा पत्रावली वास्ते जवाबदावा प्रतिवादीगण विचाराधीन थी। आदेशिका दिनांक 08.03.2018 में पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.05.2018 नियत की गई, परन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 03.05.2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प जलोदा खातियान में पेश की गई। पूर्व निर्धारित तारीख 10.05.2018 से पूर्व दिनांक 03.05.2018 को लोक-अदालत में पत्रावली रखने के नोटिस जारी करना भी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अंकित नहीं है। दिनांक 03.05.2018 को ही प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर दिया तथा लोक-अदालत कैम्प में दिनांक 03.05.2018 को ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। आदेशिका दिनांक 03.05.2018 पर केवल वादी संख्या 1 व 2 रामगोपाल व धर्मन्द्र मीणा के हस्ताक्षर अंकित हैं। आदेशिका पर अन्य वादीगण व प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। अर्थात् सभी पक्षकार राजस्व लोक अदालत में उपस्थित नहीं थे। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोक-अदालत में केवल उभयपक्षकारान द्वारा विधिवत् राजीनामा पेश करने पर ही विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए लोक-अदालत की भावना से निर्णय व डिक्री पारित किये जाते हैं। हम अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि यदि वाद का आधार नहीं है तो कभी भी न्यायालय के संज्ञान में आने पर वाद खारिज किया जा सकता है। राजस्व लोक-अदालत में केवल एक प्रतिवादी के जवाब के आधार पर हस्तगत वाद खारिज करना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में सभी वादी उपस्थित नहीं थे तथा न ही सभी प्रतिवादी उपस्थित थे। अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व लोक अदालत कैम्प में कोई विधिवत् राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। राजस्व लोक अदालत में केवल प्रतिवादी संख्या 2 के उसी दिन दिए गए जवाब के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। इस संबंध में हम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2022(2) आर.आर.टी. पेज 1310, 2022(3) सी.जे.(सिविल)(राज.) पेज 1624 से सहमत हैं। वादी अपीलांट संख्या 2 नरोत्तम एवं अपीलांट संख्या 4 से 9 तो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया तथा सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय को विधिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना कर निर्णय पारित करना चाहिए। बिना विधिवत् राजीनामा के तथा बिना समस्त पक्षकारान की उपस्थिति के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक-अदालत में निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2018 को खारिज किया जाना उचित है।



8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 18/2016 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2018 खारिज किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर नवीन सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 08.08.2023 को उपस्थित रहें।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।
10. निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा